-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना गिरवां क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को एसओजी व थाना गिरवां की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**
- **अज्ञात अभियुक्तों द्वारा दिनांक 12.04.2025 को थाना गिरवां क्षेत्र के बछेही मोड़ के पास फेरी लगाकर घर लौट रहे व्यापारी पिता-पुत्र से अवैध तमंचे से फायर कर लूट की घटना को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अंबुजा त्रिवेदी के नेतृत्व में आज दिनांक 12.05.2025 को थाना गिरवां में लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 12.04.2025 को थाना गिरवां क्षेत्र के तिन्दुही के रहने वाले मिथलेश सोनी तथा उनका पुत्र पंकज सोनी जो कि गांव-गांव फेरी लगाकर सोने-चांदी के आभूषण की बिक्री करते हैं, से घर लौटते समय अज्ञात अभियुक्तों द्वारा बछेही मोड़ के पास लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान अभियुक्तों द्वारा तमंचे से फायर भी किया गया जिसमें पंकज सोनी घायल हो गये थे। इस सम्बन्ध में थाना गिरवां पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 12.05.2025 को पुलिस को सूचना मिली कि गिरवां क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल में दो संदिग्ध व्यक्ति भ्रमण कर रहे हैं। सूचना पर एसओजी तथा थाना गिरवां पुलिस द्वारा मकरी पुलिया के पास सघन तलाशी एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर आ रहे 02 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गहन जांच में पाया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त आमिर खान दिनांक 12.04.2025 को थाना गिरवां क्षेत्र में हुई लूट की घटना में शामिल था। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूटे गए आभूषण नकदी आदि बरामद हुए हैं।

बरामदगी-

- लूटे गए आभूषण
- 16500 रुपए नकद

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आमिर खान पुत्र शेरखान नि0 हड़ा कबौली थाना नरैनी जनपद बांदा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष गिरवां मय टीम
2. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी प्रभारी एसओजी मय टीम

आपराधिक इतिहास आमिर पुत्र शेरखां नि0 कबौली थाना नरैनी जनपद बांदा-

1. मु0अ0सं0 141/17 धारा 286 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 248/20 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना गिरवां जनपद बांदा
3. मु0अ0सं0 256/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा
4. मु0अ0सं0 190/20 धारा 34/307 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा
5. मु0अ0सं0 61/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम थाना गिरवां जनपद बांदा
6. मु0अ0सं0 182/21 धारा 394/411 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा
7. मु0अ0सं0 43/22 धारा 34/392/411/413 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा
8. मु0अ0सं0 62/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा
9. मु0अ0सं0 221/23 धारा 120बी/394/411 भादवि थाना गिरवां जनपद
10. मु0अ0सं0 236/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा
11. मु0अ0सं0 172/24 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा
12. मु0अ0सं0 98/25 धारा 309(6) भादवि थाना गिरवां जनपद बांदा।